THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) to (d). At present there are no employee directors on the Board of State Bank of India. The State Bank Laws (Amendment) Act, 1973 provides for the appointment on the Boards of Directors of State Bank of India and its subsidiaries two employees—one from among the employees who are workmen and the other from among such of the employees of the Bank concerned as are not workmen i.e., officers. Government have already framed rules for the appointment of employee-directors in exercise of powers conferred by Section 49 of the State Bank of India Act, 1955 and Section 62 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 as amended in 1973. The workman director is to be appointed out of the panel of three employees furnished to the Central Government by the representative union. The representative union has to be certified by the Chief Labour Commissioner (Central) after due verification of membership of the unions operating in the Bank.

2. The Chief Labour Commissioner (Central) was requested in July 1974 to conduct the necessary verification. While verification reports from Chief Labour Commissioner (Central) in respect of six subsidiary banks have been received, it is reported that verification for State Bank of India and one subsidiary bank is in its final stages and results are likely to be finalised soon. As soon as the verification results are received, action will be initiated under the Rules for the appointment of the workman director on all these banks. The officer director would also be appointed simultaneously.

पंजाब नेशनल बैंक में नये पदों का सृजन

4569. **श्री रामनरेश कुशवाहा** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री के मितव्ययता के लिए अनुरोध करने के उपरान्त भी पंजाब नेशनल बैंक में उपमहाप्रबन्धक के दो नये पदों का सृजन किया गया है तथा नयी भर्ती भी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). सरकार द्वारा 27 मई, 1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 14(4)/ई (समन्वय)/77 में सरकार के प्रशासनिक खर्चों में मितव्ययिता बरतने के बारे में जारी किये गये आदेशों में यह अपेक्षा की गई है कि सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में गैर-तकनीकी और गैर-परिचालन कर्मचारियों की सभी नयी भरती सम्बन्धित संगठन के निदेशक मण्डल की अनुमति से की जाय । पंजाब नेशनल बैंक ने सूचना दी है कि इसके निदेशक मण्डल ने 10 जून, 1977 को हुई अपनी बैठक में उप महा-प्रबन्धक का एक अतिरिक्त पद मंजूर किया था । बैंक के अनुसार, बैंक के वरिष्ठ प्रबन्ध का स्तर तुलनीय आकार के अन्य बैंकों की तुलना में बहुत छोटा और संख्या में बहुत कम है और इसलिये बैंक के बढ़ते हुए कारोबार को सम्भालने के लिये नयी नियुक्ति आवश्यक है ।

स्टेनलैस स्टील के बर्तनों का निर्यात

4570. **श्री उग्रसेन** :
श्री कल्याण जैन :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के बने स्टेनलैस स्टील के बर्तनों की विदेशों में बहुत मांग है;

(ख) पिछले दो वर्षों में कितने मूल्य के ऐसे बर्तनों का निर्यात किया गया; और